न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 856/दावा/2019
दायरा दि0 07/06/2019

उनवान

धर्मेन्द्रकुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति ब्राम्हण निवासी खानुपर तह0 खानपुर
–– वादी

बनाम्

1. द्वारकालाल पुत्र बल्फा जाति मीणा निवासी चीकली तह0 खानपुर
2. छोटूलाल पुत्र बल्फा जाति मीणा निवासी चीकली तह0 खानपुर
3. माधोलाल पुत्र बल्फा जाति मीणा निवासी चीकली तह0 खानपुर
4. लोकेशकुमार पुत्र सत्यनारायण जाति मीणा नावा0 जर्ये वली माता प्रकाशबाई पत्नि सत्यनारायण जाति मीणा निवासी चीकली तह0 खानपुर
5. ममताकुमारी पुत्री नावा0 जर्ये वली माता प्रकाशबाई पत्नि सत्यनारायण जाति मीणा निवासी चीकली तह0 खानपुर
6. प्रकाशबाई पत्नि सत्यनारायण जाति मीणा निवासी चीकली तह0 खानपुर
7. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खानपुर तह0 खानपुर
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – वादी
श्री चतुर्भुज चौधरी अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 09/07/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत जर्ये अधिवक्ता इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चीकली की जमाबंदी सं0 2070–73 की खाता सं0 36 की ख0नं0 41 रकवा 3.07 बीघा, ख0नं0 41/432 रकवा 6.13 बीघा, ख0नं0 48 रकवा 2.12 बीघा, ख0नं0 48/433 रकवा 5.06 बीघा कुल 4 किता रकवा 17.18 बीघा आराजी वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की है। इसी प्रकार ग्राम चीकली की जमावंदी सं0 2070–73 की खाता सं0 33 की ख0नं0 50 रकवा 5.07 बीघा, ख0नं0 51 रकवा 11.00 बीघा, ख0नं0 118 रकवा 1.05 बीघा, ख0नं0 122 रकवा 1.07 बीघा कुल 4 किता रकवा 18.19 बीघा आराजी प्रतिवादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है। वादी के खाते की आराजी ख0नं0 41/432 रकवा 6.13 बीघा में वादी का आने जाने व कृषि यंत्र ले जाने के लिये एक

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

मात्र रास्ता प्रतिवादीगण के खाते की आराजी ख0नं0 50 रकबा 5.07 बीघा की उत्तरी–पूर्वी मेड पर ख0नं0 40 के सहारे–सहारे है। यह रास्ता 20 फिट चौड़ा व 190 फिट लम्बाई में कुल 3800 वर्गफिट अर्थात लगभग 5 बिस्वा बनता है, जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित किया गया है। उक्त 20 चौड़े व 190 फिट लम्बे कुल 5 बिस्वा आराजी वादी के रास्ते के रूप में उपयोग में होने वाली आराजी की क्षतिपूर्ति अपने खाते की आराजी ख0नं0 41/432 से करने को तैयार है। अथवा न्यायालय जो भी प्रतिकर प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार करेगा, वह वादी चुकाने को तैयार है। प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता अवरूद्ध करने की धमकी देने के कारण वाद कारण दि0 14.05.2019 को उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री सादर फरमायी जावे कि ग्राम चीकली की वादी की आराजी ख0नं0 41/432 में आने–जाने के लिये प्रतिवादीगण की ग्राम चीकली की आराजी ख0नं0 50 रकबा 5.07 बीघा में से उत्तरी–पूर्वी मेड़ पर ख0नं0 40 के सहारे–सहारे 190×20=3800 वर्गफुट रकबा 5 बिस्वा आराजी को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित रास्ते को गेर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाकर नक्शा में तरमीम किया जावे व प्रतिवादी के पक्ष में न्यायोचित प्रतिकर स्वीकार फरमाया जावे। अन्य सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार खानपुर से मौका रिपोर्ट चाही गयी। प्रति0नं0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण 2 लगा0 7 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी तथा तहसीलदार खानपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। वहीं वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ने जर्ये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया कि *"उपरोक्त उनवानी वाद में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। राजीनामा गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है, जिसमें वादी की कृषि आराजी ग्राम चीकली की ख0नं0 41/432 में आने–जाने के लिये प्रतिवादी की ख0नं0 50 की उत्तरी मेर पर ख0नं0 40 के सहारे–सहारे 20 फिट चौड़ाई में 190 फिट लम्बाई कुल 3800 वर्गफुट जिसका रकबा 5 बिस्वा बनता है पर वादी को अपने उपयोग उपभोग व कृषि आराजी काश्त करने के लिये रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा सकती है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हुआ है कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार तय जो भी माननीय न्यायालय प्रतिकर चुकाने का आदेश वादी को देगा जिसको प्रतिवादी मानने को तैयार है। वादी प्रतिकर के रूप में ख0नं0 41/432 में से ख0नं0 50 के लगवां की 0.09 बीघा भूमि प्रतिवादीगण को देने में सहमत हूँ। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा अनुसार वाद डिक्री फरमाये जाने की कृपा करें।"* प्रस्तुत राजीनामा को पक्षकारान द्वारा राजीखुशी से आलेखित कराना एवं अंकित सभी तथ्यों को सही एवं सत्य होना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुये प्रकट किया कि ग्राम चीकली 4 किता रकबा 17.18 बीघा आराजी वादी के एवं 4 किता रकबा 18.19 बीघा आराजी प्रतिवादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है। वादी की आराजी ख0नं0 41/432 में आने-जाने व कृषि यंत्र ले जाने के लिये एक मात्र रास्ता प्रतिवादीगण के खाते की आराजी ख0नं0 50 की उत्तरी-पूर्वी मेड़ पर ख0नं0 40 के सहारे-सहारे है। यह रास्ता 20 फिट चौड़ा व 190 फिट लम्बा है, जिसे हमने नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित किया है। वादी के इस रास्ते के रूप में उपयोग में आने वाली आराजी की क्षतिपूर्ति के बदले में न्यायालय जो भी प्रतिकर प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार करेगा, वह वादी चुकाने को तैयार है। हमारा रास्ता अवरूद्ध करने की धमकी देने के कारण वाद हेतु दि0 14.05.2019 को उत्पन्न हुआ है। प्रति0नं0 1 ने हमारे दावे को स्वीकार करते हुये इकबालिया जवाबदावा पेश किया है तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 ने राजीनामा भी पेश किया है जो तस्दीक होकर पत्रावली में शामिल है। हम प्रतिकर के रूप हमारे खाते की 0.09 बीघा आराजी वादीगण के खाते में दर्ज कराने को तैयार हैं। तहसीलदार सा0 की मौका रिपोर्ट से भी हमारा दावा साबित होता है। न्यायालय मे उपस्थित नहीं होने से शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किया जाकर ग्राम चीकली की वादी के खाते की आराजी ख0नं0 41/432 में आने-जाने के लिये प्रतिवादीगण की ग्राम चीकली की आराजी ख0नं0 50 रकबा 5.07 बीघा में से उत्तरी-पूर्वी मेड़ पर ख0नं0 40 के सहारे-सहारे 190×20=3800 वर्गफुट रकबा 5 बिस्वा आराजी को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त रास्ते की आराजी के प्रतिकर के रूपमेंहमारे खाते की ख0नं0 41/432 में से 0.09 बीघा आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज करने का आदेश फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हमें वादी का वाद स्वीकार है। हमने गांव के लोगों की समझाईश व लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया है। अतः इस वाद को राजीनामा के अनुसार निर्णित किया जावे। माननीय न्यायालय जो भी प्रतिकर मंजूर करेगा वह हमे स्वीकार है।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादी ने अपने खाते की ग्राम चीकली की आराजी ख0नं0 41/432 में आने-जाने के लिये प्रतिवादीगण के खाते की आराजी ख0नं0 50 में से उत्तरी-पूर्वी मेड़ पर ख0नं0 40 के सहारे-सहारे 190×20=3800 वर्गफुट रकबा 5 बिस्वा रास्ता स्वीकार कर इस रास्ते की आराजी को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु यह वाद पेश किया है। प्रतिवादी ने वादी के वाद को स्वीकार कर इकबालिया जवाबदावा पेश किया है। साथ ही पक्षकारान ने राजीनामा भी पेश किया है, जो तस्दीक होकर पत्रावली में शामिल है। वहीं प्रति0नं0 2 लगा0 7 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुये हैं। इससे प्रकट होता है कि इनको वादी के वाद पर कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार खानपुर की मौका रिपोर्ट से भी वादी के वाद में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। तहसीलदार खानपुर की उक्त रिपोर्ट के अनुसार वादी द्वारा चाहे गये रास्ते में प्रतिवादीगण के खेत ख0नं0 50 की 3 गुणा 30 कुल 90 वर्गगढ़ठा अर्थात 0.05 बीघा आराजी कम होगी। वादीगण इस आराजी के प्रतिकर के रूप में अपने खाते की आराजी ख0नं0 41/432 रकबा 6.13 बीघा में से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम दिशा

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

की 12×15=180 वर्ग गठ्ठा अर्थात 0.09 बीघा आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कराने में सहमत है। यहां चूँकि प्रतिवादी, वादी के वाद से सहमत है और पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा भी पेश किया है। ऐसे में हम इस वाद का निर्णय प्रस्तुत राजीनामा एवं तहसीलदार खानपुर की मौका रिपोर्ट के अनुसार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर राजीनामा के अनुसार डिकी किया जाता है तथा वादी के खाते की आराजी ग्राम चीकली की ख0नं0 41/432 में आने–जाने के लिये प्रतिवादीगण के खाते की आराजी ख0नं0 50 में उत्तरी–पूर्वी मेड़ पर ख0नं0 40 के सहारे–सहारे 3 गठ्ठा चौड़ा व 30 गठ्ठा लम्बा कुल 90 वर्ग गठ्ठा रकबा 5 बिस्वा रास्ता स्वीकार कर इस 5 बिस्वा रास्ते की आराजी को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने की आज्ञा पारित की जाती है। वहीं इस रास्ते के प्रतिकर के रूप में वादी के खाते की आराजी ख0नं0 41/432 रकबा 6.13 बीघा में से (दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम दिशा की प्रतिवादीगण के खेत ख0नं0 50 के लगवा 12×15=180 वर्ग गठ्ठा) 0.09 बीघा आराजी कम की जाकर इस 0.09 बीघा आराजी का प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 को खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हो। उपरोक्त आराजियात पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 09/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner